Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN: 2581-6241 Volume - 3, Issue - 2, Mar-Apr – 2020
Bi-Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 3.589
Received on : 06/04/2020 Accepted on : 19/04/2020 Publication Date: 30/04/2020

निजता का अधिकार और डॉटा सुरक्षा में ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रो की भूमिका

प्रवीण कुमार देवांगन
ग्रंथालयी, केन्द्रीय ग्रंथालय, शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर–492001 छत्तीसगढ़
ईमेलः praveenkumardewangan@gmail.com

सारांशः संचार क्रांति के इस युग में हमारा समाज तेजी से तकनीकी विकास की ओर बढ़ रहा है मोबाइल तकनीकी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। आज मानव चारों ओर से संचार उपकरणों से घिरा है तकनीकी के इस विकास ने जहाँ एक ओर हमें तीव्र गति से सूचना प्राप्त करने में सक्षम बनाया है वहीं दुसरी ओर हमारी निजी जीवन में इस संचार क्रांति का अनचाहा हस्ताक्षेप भी अनावश्यक रुप से बढ़ता जा रहा है जो प्रत्येक संचार उपकरण उपयोगकर्ता के मन में डॉटा असुरक्षा का भय पैदा करता है। वर्तमान परिप्रेक्ष में डॉटा सुरक्षा हमारे लिए अहम जरुरत बन गया है। डॉटा सुरक्षा का ही दुसरा पहलू निजता का अधिकार है जो हमें अपने डॉटा तथा निजी सुचनाओं की सुरक्षा के प्रति जागरुक बनाता है। प्रस्तुत लेख निजता का अधिकार व डॉटा सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तुत व्याख्या प्रस्तुत करने के साथ निजता के अधिकार हेतु संवैधानिक प्रावधान, डेटा संरक्षण बिल तथा डॉटा सुरक्षा में ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रो की भूमिका को रेखांकित करता है।

मुख्य शब्दः निजता, निजता का अधिकार, डॉटा, डॉटा सुरक्षा, डेटा सुरक्षा बिल।

१ प्रस्तावनाः

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा अपने सूचना संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति वह सूचना समाज से ही करता है। प्रौद्योगिकी के विकास ने सूचना प्राप्त करने की प्रकृति में व्यापक परिवर्तन लाया है जिसके फलस्वरुप मानव परम्परागत सूचना प्राप्ती विधियों के स्थान पर इंटरनेट के माध्यम से सूचना प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया परन्तु एक ओर जहाँ तकनीकी के विकास ने सूचना प्राप्त करना आसान बना दिया वहीं दुसरी ओर निजी डॉटा के सुरक्षा तथा निजता के अधिकार पर अनचाहा हस्ताक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। तकनीकी के इस युग में डॉटा अमुल्य है तथा इसकी सुरक्षा हमारा प्रमुख उत्तरदायित्व है। हम अपने दैनिक भोग के वस्तुओं, पुंजी तथा भौतिक दस्तावेजों की सुरक्षा का तो इंतेजाम करते है परन्तु भौतिक पुंजी तथा दस्तावेजों से भी महत्वपूर्ण डॉटा सुरक्षा पर अपना ध्यान केंद्रीत नही कर पाते, जिनके गलत हाथों में लग जाने से हमें भारी आर्थिक व मानसिक क्षति हो सकती है।

२ निजता क्या है?

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसे बहुत सारी सुचनाएं होती है जिसे वो अपने निजी उपयोग हेतु रखना चाहता है, यह जानकारी उसके आर्थिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक या नौकरी से संबंधित हो सकती है जिसे वह अपने आप तक या उन लोगो तक सीमित रखना चाहता है जिसे वो जरुरी समझता है, इसे ही निजता कहा जाता है। निजता एक व्यक्तिगत कारक है तथा इसकी परिभाषा भिन्न–भिन्न व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकती है जैसे– एक कामगार के लिए उसके कार्य से संबंधित जानकारियाँ, एक ग्रहणी के लिए पारिवारिक जानकारियाँ, उद्यमी के लिए उसके व्यापार से संबंधित जानकारियाँ आदि परन्तु समेकित रुप से इन सूचनाओं का संबंध उन उपयोगी जानकारियों से है जिसके रिसाव से व्यक्ति को भारी आर्थिक, सामाजिक या मानसिक क्षति उठाना पढ़ सकता है। उदाहरण– आधुनिक समय में ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत अधिक प्रचलन है आज हम रोजमर्रा के सामग्रियों से लेकर खाने तक का आर्डर भी ऑनलाइन करना पसंद करते है पर जब हम ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जैसे– एमेजॉन, फ्पिकार्ट, स्नैपडिल आदि पर जब कोई सामग्री खोजने के बाद उस ऑनलाइन शॉपिंग साइट से लॉग आउट होकर उसे बंद कर देते है, और जब कोई सोशल नेटवर्किंग साइट पर लॉग इन करते है तो हम पाते है कि वहीं सामग्री जिसे हमने ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर कुछ समय पहले जानकारी हेतु खोज किया था वहीं सामग्री हमें हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट या ईमेल अकाउण्ट पर आकर्षक छुट के प्रस्ताव के साथ विज्ञापन के रुप में दिखाई देता है, कई बार तो कुछ दिनों से लेकर कुछ महिनों पहले खोजे गये सामग्रियों की सूची को बार–बार लुभावने प्रस्तावो के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जबकि हम कभी भी अपने सोशल नेटवर्किंग साइट से ऑनलाइन शॉपिंग साइट अकाउंट को नही जोडते फिर कैसे यह हमारे द्वारा खोजे गये परिणामों को हम तक साझा करता है? यह सब हमें यह दिखा रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारा बिताया गया समय तथा हमारी निजी सूचनाएं रिकार्ड हो रही है हमें यह समझना होगा की हमारी निजता भंग हो रही है और यह खतरे में है।

३ डॉटा क्या है?

कम्प्यूटर तथा मोबाइल जैसे संचार उपकरणों के इस युग में डॉटा बहुत प्रचलित शब्द है डॉटा कोई भी फाइल, फोल्डर, फोटो, विडियो, संगीत, पासवर्ड, ईमेल आदि हो सकता है जिसे हम अपने कम्प्यूटर या मोबाइल में आवश्यकतानुसार डिजिटल रुप में संग्रहित कर सकते है डॉटा कहलाता है। डॉटा, सूचना का ही लघु रुप है जिसमें विभिन्न प्रकार के आवश्यक जानकारियों को एकत्रित किया जाता है। मूलतः डॉटा हमारे द्वारा संचार उपकरणों में विभिन्न क्रिया कलापों का ही परिणाम है सरल शब्दो में हम कम्प्यूटर या मोबाइल में जो कुछ भी गतिविधियाँ संपादित करते है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से डॉटा को ही जन्म देती है। सामान्यतः डॉटा संगठित या असंगठित रुपों में पाया जाता है तथा असंगठित डॉटा को प्रक्रिया बद्ध कर संगठित डॉटा में परिवर्तित किया जा सकता है। डॉटा ज्ञान प्रबंधन तंत्र व ज्ञान पिरामिड का प्रारंभिक स्तर है। डाटा को हम शब्दो, अंको, उध्दहरण चिन्हो, चित्रो या संकेत अक्षरों के रुप में प्रदर्शित करते है।

४ निजता का अधिकारः

संचार प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। निजता के अधिकार से तात्पर्य संचार उपकरणों के माध्यम से विभिन्न मोबाइल या मोबाइल सॉफ्टवेयर जिसे मोबाइल एप्प कहा जाता है को बनाने वाली कंपनियाँ, सरकारी या निजी निकाय, गैर सरकारी

संगठन आदि जो सूचनाएं उपभोक्ताओं से प्राप्त करती है उन सभी सूचनाओं का उपयोग वो कहाँ– कहाँ तथा किन उद्देश्यो के लिए करना चाहती है यह जानना हमारा अधिकार होना चाहिए। के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के निर्णय के अनुसार उच्चत्तम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मूलभूत संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत संरक्षित माना है इस फैसले के साथ यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया था कि भारत सरकार को निजता के अधिकार की सुरक्षा हेतु एक मजबुत 'डॉटा सुरक्षा तंत्र' बनाने की आवश्यकता है जिसके लिए भारत सरकार ने बी. एन. श्रीकृष्णा के अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया था जिसने सन् 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उच्चत्तम न्यायालय के इस फैसले के अनुसार किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी पर उस व्यक्ति के अलावा किसी का हक नही है, सरकार का भी नही, आर्थिक विकास के लिए व्यक्तिगत अधिकारों का हनन नही होना चाहिए। लोगों को उनकी निजी डॉटा देने के लिए बाध्य नही किया जा सकता इस फैसले के अनुसार किसी भी व्यक्ति के निजी सूचनाओं को सार्वजनिक नही किया जा सकता।

५ डॉटा सुरक्षा तथा निजता के अधिकार हेतु संवैधानिक प्रावधानः

यद्यपि निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना गया है परन्तु इसके विनियमन करने हेतु कोई अधिनियम अभी तक नही बनाया गया है। निजता के अधिकार के कुछ पहलुओं को यद्यपि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 विनियमन करता है जो यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति की संवेदशील जानकारी जैसे– वित्तीय सूचनाएं, डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड की सूचना, पासवर्ड संबंधित जानकारी, शारीरिक व मानसिक स्थिति के साथ यौन अभिविन्यास से संबंधित जानकारी को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नही किया जा सकता। आई.टी. एक्ट 43 'अ' में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी सामाजिक निकाय जो उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत सूचनाओं के साथ व्यवहार करती है उन निकायों की यह जवाबदेही है कि वह निजी सूचनाओं की रक्षा करें यदि किसी कारण वश वो निकाय डॉटा सुरक्षा करने में असफल होता है तो उस निजी सुचना के क्षरण से पीड़ित व्यक्ति को जो भी नुकसान होता है उसका हर्जाना भरने के लिए संबंधित निकाय बाध्य होगा। इस अधिनियम के भाग 72 में यह प्रावधान है कि कोई भी निकाय यदि कानूनी अनुबंधो के विपरित आपके निजी सूचनाओं को क्षरण करती है तो ऐसे निकायों पर 3 वर्ष तक के सजा व 5 लाख रूपय तक के जुर्माना का प्रावधान है।

६ डेटा संरक्षण बिलः

केन्द्र सरकार ने 10 दिसंबर 2019 को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल लोक सभा में पेश किया इस बिल के अंतर्गत किसी भी निकाय को भारतियों की संवेदनशील डेटा भारत में ही संरक्षित करना होगा तथा कुछ सीमा के अंदर ही इन भारतीय उपभोक्ताओं का डॉटा का संग्रहण भारत के बाहर किया जा सकेगा लेकिन इस व्यक्तिगत डॉटा की एक प्रति उस कंपनी के द्वारा सरकार को उपलब्ध कराना होगा। यह बिल सरकारी निकायों को निजी व संवेदनशील डेटा को प्राप्त करने तथा संग्रहण करने का अधिकार देता है साथ ही किसी भी इंटरनेट सोशल मिडिया प्रोवाइडर जैसे– गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप्प, ट्विटर, एमेजॉन, फ्लिपकार्ड और एप्पल आदि कंपनियों से सरकार डेटा हासिल कर सकती है। विपक्ष के आपत्तियों के बाद इसे ज्वांइट सलेक्शन कमेटी के पास अध्ययन हेतु भेज दिया गया है तथा इस कमेटी का रिपोर्ट आना अभी बांकि है। इस नये बिल के क्लॉज 92 में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी फर्म या कंपनी किसी भी उपभोक्ता से बायोमेट्रिक डेटा नही ले सकती जब तक की उसे सरकार से लिखित आदेश न प्राप्त हो जाये। इस बिल के पास हो जाने से सरकार को तो लाभ होगा साथ ही उपभोक्ताओं को कुछ डेटा संबंधित अधिकार भी प्राप्त हो जायेंगे जैसे– 'राइट टू करेक्शन' अर्थात सुधार का अधिकार जिसमें हम किसी निकाय को प्रदान किये गये सूचनाओं में सुधार कर सकते है। दुसरा 'कोबोटेंट का अधिकार' जिसके अंतर्गत किसी फर्म या कंपनी को प्रदान की गयी सूचनाओं को वापस लिया जा सकता है। इस बिल के मसौदा सरकार को इस बात का अधिकार देता है कि किसी भी सरकारी एजेंसी को इस प्रस्तावित कानून के प्रावधानों के दायरे से छूट दिया जा सकता है। इस विधेयक के अनुसार उपभोक्ताओं के निजी सूचनाओं के साथ व्यवहार करने वाले फर्म या कंपनियाँ किसी भी व्यक्ति के सहमति के बिना डॉटा लेता है या उसका दुरुपयोग करता है तो उस फर्म या कंपनी पर जुर्माना व सजा का प्रावधान किया गया है।

७ डेटा सुरक्षा में ग्रंथालय तथा सूचना केंद्रो की भूमिकाः

ग्रंथालय तथा सूचना केंद्र ऐसे संस्थान है जो डॉटा व सूचना सेवाएं प्रदान करते है यहीं कारण है कि डॉटा सुरक्षा हेतु उपयोगकर्ताओं को जागरुक बनाने तथा सुरक्षित विधि से सूचना खोज को व्यवहार में लाने हेतु इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। आज व्यक्ति अपनी भौतिक या डिजिटल सूचना संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से ग्रंथालय तथा सूचना केंद्रो का उपयोग करते है। साइबर क्राइम के इस दौर में इन संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इनका कार्य न केवल वांछित सूचनाओं को संबंधित पाठकों तक पहुचाना है बल्कि सूचना स्रोतो के सुरक्षित उपयोग विधियों से पाठकों को अवगत कराना भी है जिससे सूचना का अधिकाधिक सुरक्षित विधि से उपयोग हो सके। ग्रंथालय तथा सूचना केंद्रो को पाठकों के अनूकूल नेटवर्क तथा सूचना संसाधनों जैसे– आभासी ग्रंथालय, डिजिटल ग्रंथालय तथा संस्थागत डिजिटल कोष को उन्नत व परिष्कृत करने की आवश्यकता है जिससे अधिक से अधिक पाठक अपनी सूचना संबंधित आवश्यकताओं हेतु ग्रंथालय तथा सूचना केंद्रो के नेटवर्क व संसाधनों का उपयोग कर सकें। यहाँ उपयोगकर्ताओं के लिए भी यह जानना आवश्यक है कि किसी नेटवर्क पर किसी ब्राउसर के द्वारा प्राप्त सभी परिणाम प्रमाणिक स्रोत से हो या सुरक्षित हो यह आवश्यक नही, उन परिणामों के साथ–साथ अवांछित लिंक के रुप में हैकर्स द्वारा बनाये गये वायरस या मालवेयर हो सकते है जिसमें भूलवश क्लिक हो जाने मात्र से डेटा ह्रास का भय बना रहता है अतः उपयोगकर्ताओं को अधिक से अधिक ग्रंथालय तथा सूचना केंद्रो के नेटवर्क व संसाधनों का उपयोग करना चाहिए इसके दो लाभ है, एक आपको सूचना संगठित, समीक्षित व प्रमाणिक स्रोतो से प्राप्त होगी क्योंकि इन केंद्रो के नेटवर्क वेब पोर्टलस्, वेब साइटस् व डिजिटल रिपोसिटरिस जैसे– नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से प्राप्त सामग्रियों की विषय विशेषज्ञो द्वारा पूर्व ही समीक्षा की जा चुकी होती है। ज्यादातर डिजिटल लाइब्रेरी अपने ई–संसाधनों को पाठकों तक पहुंचाने के लिए सुरक्षित दुरस्थ पहुच साफ्टवेयर जैसे– ईजी प्रॉक्सी, रिमोट एस एम, लाइब्रेरी प्रॉक्सी का उपयोग करता है यह इंटरनेट के द्वारा संस्थागत डिजिटल संसाधनो से सूचना प्राप्ती की सुरक्षित विधि है। किसी सर्च ब्राउसर से सूचना प्राप्त करना आवश्यक हो तो ब्राउसर द्वारा प्रदान किये गये परिणामों में से उन परिणामों को प्राथमिकता देना चाहिए जिनके मेटाडेटा प्रोटोकॉल/ यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर का प्रारंभ एच.टी.टी.पी.एस. अर्थात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर से शुरु हो यह एक इंटरनेट संचार प्रोटोकॉल है जो कम्प्यूटर व वेब पोर्टलस्, वेब साइटस् से जुड़े डेटा को सुरक्षित रखता है।

८ अपनी डॉटा को सुरक्षित कैसे रखे?

साइबर क्राइम के बढते घटनाओं के बीच अपने डॉटा व निजी सूचनाओं को सुरक्षित रखना एक चुनौतिपूर्ण कार्य है परंतु थोड़े से जागरुकता व सावधानी के साथ अपने डॉटा व निजी सूचनाओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। डॉटा को सुरक्षित रखने के कुछ उपाय निम्नलिखित है :

1. अपने संचार उपकरणों जैसे– मोबाइल, कम्प्यूटर तथा लैपटॉप को बॉयोमेट्रिक पासवर्ड जैसे– अंगुठे व उंगलियों के निशान, चेहरे की बनावट, आँख के रेटिना की बनावट के स्कैन विधियों का उपयोग पासवर्ड के रुप में करें। इसे संचार उपकरणों के उपयोग के लिए सबसे सुरक्षित विधि माना जाता है।
2. अपने मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटॉप तथा ऑनलाइन अकाउंट जैसे– ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक तथा इमेल अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए दो–स्तरीय प्रमाणिक पासवर्ड विधियों का उपयोग करें इसमें आपके द्वारा निर्मित पासवर्ड के अतिरिक्त संबंधित ऑनलाइन अकाउंट से जोड़े गये मोबाइल नम्बर पर प्राप्त सिस्टम के द्वारा निर्मित संदेश कोड का उपयोग दुसरे पासवर्ड के रुप में किया जाता है। दोनो पासवर्ड के मिलान उपरांत ही आप अपने अकाउंट की जानकारी प्राप्त कर सकते है।
3. अधिक से अधिक अपने निजी नेटवर्क का उपयोग करें सार्वजनिक नेटवर्क से अपने संचार उपकरणों का जोडने से परहेज करें। ज्यादातर सार्वजनिक नेटवर्क प्रदान करने वाली कंपनियाँ आपको रजिस्टर करने के उपरांत ही अपना नेटवर्क को उपयोग करने की अनुमति प्रदान करती है जिससे आपके डॉटा लिक होने की संभावना बनी रहती है।
4. सोशल नेटवर्किंग साइट से प्राप्त अज्ञान लिंक से कोई भी सूचना या एप्लिकेशन डाउनलोड करने से बचे। अक्सर सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा हैकर्स विभिन्न प्रकार के आकर्षक विज्ञापन व गेम्स एप्प ओपन यूआरएल के द्वारा प्रलोभन देकर उपयोगकताओं के डॉटा को हैक करती है।
5. किसी भी एप्प को डाउनलोड करने के लिए उस एप्प के मूल स्रोत या अगर आप एंड्राइड उपभोक्ता है तो गूगल प्ले स्टोर से और यदि एप्पल कंपनी के उपभोक्ता है तो एप्पल स्टोर से सीधे डाउनलोड करें।
6. किसी भी मोबाइल एप्प में रजिस्ट्रेशन करते समय उसके नियम व शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ने के पश्चात ही एप्प के द्वारा मांगे जाने वाले सहमति बाक्स में अपना अंकन करें तथा अनावश्यक शर्तो की अनुमति को प्रतिबंधित करें।
7. कसी भी मोबाइल एप्प को डाउनलोड करने से पूर्व विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा प्रदान किये गये समीक्षा को ध्यान से पढ़े तथा एप्प को प्राप्त स्टार का अवलोकन करने के पश्चात ही एप्प को डाउनलोड करें।
8. अनावश्यक रुप से अपने मोबाइल लोकेशन को चालू न रखें तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपने जियो लोकेशन प्रदान करने से परहेज करें इनके माध्यम से आपको आसानी से ट्रेक किया जा सकता है।
9. सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपने व अपने परिवारिक सदस्यों की सूचना व सम्पर्क सूत्र, पत्र व्यवहार या निवास स्थान का पता अंकित करने से बचें।
10. अपने कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा मोबाइल एप्प को हमेशा अद्यतन रखे क्योंकि ज्यादातर सॉफ्टवेयर तथा मोबाइल एप्प कंपनियाँ अपने एप्प में कमियों को सुधारने व नये विशेषताओं को जोडने के साथ सूरक्षा पर भी आवश्यक कार्य करते है।
11. ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर आर्डर प्राप्त हो जाने के पश्चान अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी के साथ अपने निजी सूचनाएं को हटा दें।
12. शैक्षणिक सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु अधिक से अधिक ग्रंथालय तथा सूचना केंद्रो के नेटवर्क, वेब पोर्टलस्, वेब साइटस् व संस्थागत डिजिटल कोष के संसाधनों का उपयोग का उपयोग करें।
13. एच.टी.टी.पी.एस. अर्थात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर से शुरु होने वाले मेटाडेटा प्रोटोकॉल/ यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर से संबंधित सूचना संसाधनों को डाउनलोड करने में प्राथमिकता दे।
14. मोबाइल संदेश या फेसबुक संदेशवाहकों से अपना व्यक्तिगत व निजी जानकारी साझा करने से परहेज करें यदि बहुत अधिक आवश्यक हो तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन विधि का उपयोग करने वाले संदेशवाहक एप्प को प्राथमिकता दे जैसे– वॉट्सऐप इससे कोई भी दुसरा व्यक्ति आपके द्वारा भेजे गये संदेशो को नही पढ सकता यहाँ तक की वॉट्सऐप भी नही।

९ निष्कर्ष:

वर्तमान परिप्रेक्ष में निजता का अधिकार व डॉटा सुरक्षा हमारे लिए अहम जरुरत बन गया है। निजता का अधिकार से जहाँ व्यक्ति को अपने निजी सूचनाओं को सहेजने में मदद मिलेगी वहीं डेटा सुरक्षा बिल के पास हो जाने से डेटा के उपयोग व संग्रहण हेतु नियमों की व्याख्या होगी। किसी भी कंपनी या निकाय के साथ अपनी निजी जानकारी या डॉटा को साझा करने से पूर्व हमें यह जान लेना आवश्यक होता है कि वह निकाय उस डॉटा को उपयोग किन उद्देश्यो के लिए करना चाहती है। निश्चित ही निजता का अधिकार व डॉटा सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों का होना आवश्यक है परंतु हमारे निजी डॉटा व सूचनाओं की सुरक्षा हमारा व्यक्तिगत जवाबदारी है। यद्यपि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार यह उचित प्रतीत होता है परंतु इसमें सख्त प्रावधानों से परहेज किया गया है जो निजता के अधिकार के उल्लंघन पर रोक लगाने में यह विफल हो सकता है। इस विधेयक के मसौदा पर अभी संसदीय परामर्श समिति के रिपोर्ट आने तक तथा कानून बनने तक व्यापक संसोधन होने की संभावना है। निश्चित ही इस बिल के विवादित प्रावधानों में सुधार पश्चात भविष्य में एक व्यापक और विस्तृत डेटा संरक्षण बिल देखने को मिलेगा जिससे भारतीय नागरिकों निजी डेटा की सुरक्षा के साथ अधिकारों की भी रक्षा होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. गौतम सोनी (2018): अपने डॉटा को सुरक्षित कैसे रखें: ग्रंथालय विज्ञान, खण्ड 49, पृष्ठ 57–60।
2. मुकेश सिंह : बेशकीमती है डॉटा, दैनिक जागरण सप्तरंग दिनांक 28 जनवरी 2018।
3. पवन दुग्गल: डेटा संरक्षण बिल: बॉयोमेट्रिक के इस्तेमाल पर रोक संभव, एलेक्सा और गूगल होम सेवाओं पर होगा असर, दैनिक भास्कर, बिज़नेस भास्कर, 12 दिसंबर 2019।
4. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/privacy-now-a-fundamental-right. Accessed 12 April 2020.